ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0028312

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
06.08.13	आवेदक की ओर से श्री अरूण जैन उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री वी.के. लोखंडे, कार्यपालन यंत्री उपस्थित । विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 579/2010 सिम्पलेक्स टयूबलर स्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड विरूद्ध अधीक्षण यंत्री तथा अन्य 2 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2010 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है । उभयपक्ष को सुना गया । फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत को स्वीकृत करते हुए उसके पक्ष में आदेश पारित किया था । अनावेदक गण द्वारा उक्त आदेश के अनुसरण में कार्यवाही न किए जाने के कारण विद्युत लोकपाल के समक्ष यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है । इस तरह की प्रक्रियां का अनुसरण किए जाने का कोई औचित्य तथा विधिक प्रावधान नहीं है । यदि उपभोक्ता फोरम के आदेश से असंतुष्ठ था तो वह उसके विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता था, परन्तु इस मामले में उपभोक्ता फोरम के आदेश से असंतुष्ठ नहीं है अपितु फोरम के आदेश के अनुसरण में अनावेदक द्वारा कार्यवाही न किए जाने से विद्युत लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन के रूप में शिकायत प्रस्तुत की है, ऐसी शिकायत का निराकरण करने का अधिकार विद्युत लोकपाल को नहीं है । फोरम के आदेश की कण्डिका – 4 के खण्ड iv के अनुसरण में कार्यवाही किए जाने का विवाद है । फोरम के आदेश की कण्डिका – 1 के खण्ड viii के अनुसार उपभोक्ता ने 50,000/– रू. की राशि को ब्याज सहित दिलाए जाने तथा कार्यपालन यंत्री (सतर्कता) दल क्र0 – 1 के आदेश दिनांक 26.4.10 को निरस्त किए जाने का अनुतोष चाहा था । फोरम ने 50,000/– रू. की राशि वापस किए जाने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है, परन्तु पुनरीक्षित निर्धारण आदेश दिनांक 26.4.10 को निरस्त किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त निर्धारण आदेश के अनुसरण में अनावेदक दल उपभोक्ता से कोई राशि वसूल नहीं कर सकते हैं । अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में आदेश दिया जाता है कि अनावेदक गण फोरम के उक्त आदेश का क्रियान्वयन किया जाना एक माह के अन्दर सुनिश्चित करें तथा उपभोक्ता को तद्नुसार सूचित करें । .... निरन्तर	

ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0028312

Date of order of proceeding	*Order of proceeding with Signature of presiding officer*	*Signature of parties or pleaders where necessary*
	पूर्व पृष्ठ से निरन्तर ...... तद्नुसार उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन का निराकरण किया जाता है । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए । **विद्युत लोकपाल** **प्रतिलिपि :** 1. आवेदक की ओर प्रेषित । 2. अनावेदक की ओर प्रेषित । 3. फोरम की ओर प्रेषित । **विद्युत लोकपाल**	